

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-पी०पी०एम०-57/2012

630

/कृ०, प्रसार, पटना, दिनांक 09/10/2014

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,
संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं
निदेशक (प्रशासन) -सह- अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्षित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।(+)

विषय : किसान सलाहकार योजना का वर्ष 2014-15 में 5486.73484 रु० (चौवन करोड़ छियासी लाख तिहतर हजार चार सौ चौरासी रु० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन तत्काल अनुसूचित जाति के किसान सलाहकार के लिए 680.40 लाख रु० (छः करोड़ अस्सी लाख चालीस हजार) रु० मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा किसान सलाहकार योजना का वर्ष 2014-15 में 5486.73484 रु० (चौवन करोड़ छियासी लाख तिहतर हजार चार सौ चौरासी रु० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन तत्काल अनुसूचित जाति के किसान सलाहकार के लिए 680.40 लाख रु० (छः करोड़ अस्सी लाख चालीस हजार) रु० मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. किसान सलाहकार योजना की प्रथम स्वीकृति वर्ष 2009-10 में दी गयी थी। यह सरकारी पद नहीं है बल्कि पंचायत स्तर पर किसानों को परामर्श देने के लिए सलाहकार केन्द्र को स्थापित करने तथा इसे चलाने के लिए किसान सलाहकार का चयन हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा C.W.J.C. no. 20052/2012 के न्यायादेश में यह स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया है कि यह Civil Post नहीं है। राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 8463 लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 7326 किसान सलाहकार चयन किये गये थे जिसमें वर्तमान में 6753 किसान सलाहकार कार्यरत हैं। शेष 1710 किसान सलाहकार का संबंधित जिलावार एवं कोटिवार चयन किया जाना है। चयन किये गये किसान सलाहकार को राजेन्द्र/बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं इसके अधीन कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं ब्रामेती में प्रशिक्षित किया जायेगा।
3. जिन सलाहकार केन्द्रों के लिए चयन नहीं हो पाया है उन केन्द्रों के लिए विहित ऑनलाईन चयन प्रक्रिया के अनुसार किसान सलाहकार का चयन अनुलग्नक 1 पर संलग्न मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। किसान सलाहकारों को दिनांक-01.04.2014 के प्रभाव से मानदेय 5000.00 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 6000.00 रु० की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. किसान सलाहकार केन्द्रों के संचालन के लिए चयन किये गये किसान सलाहकारों के कार्यों की समीक्षा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। कृषि विभाग की योजनाओं में संबंधित पंचायत की प्रगति के अनुसार इनके कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।

09/10/2014

3.8.14
7.10.2014

5. योजना कार्यान्वयन में समय-समय पर आवश्यकता होने पर कृषि विभाग द्वारा आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।
6. निकासी हेतु स्वीकृत 680.40 लाख रु० (छः करोड़ अस्सी लाख चालीस हजार) रु० मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म लघुशीर्ष 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मांग संख्या 1 उपशीर्ष 0106-इनटेन्सिफाइड फ़िल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड P2401007890106 राज्य योजना स्कीम कोड AGR -5022 विषय शीर्ष 2701 लघु कार्य में वर्ष 2014-15 में उपबंधित 840.00 लाख (आठ करोड़ चालीस लाख) रुपये मात्र से विकलनीय होगा।
7. योजनान्तर्गत निकासी हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी अनुसूची-2 संलग्न है। संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी अपने से संबंधित कोषागार से स्वीकृत राशि की निकासी कर सकेंगे।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या-पी.पी.एम.-57/2012 के पृ०सं०- 131/टि० पर दिनांक- 09.09.2014 को प्राप्त है।
9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-पी०पी०एम०-57/2012 के पृ० सं०-137/टि० पर दिनांक-26.09.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विश्वनाथ चौधरी)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं
निदेशक (प्रशासन) -सह- अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक

630

/क०, प्रसार पटना, दिनांक 09/10/2014

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


09.10.14

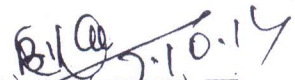
संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं
निदेशक (प्रशासन) -सह- अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक

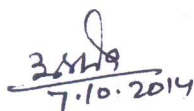
630

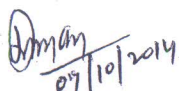
/क०, प्रसार, पटना, दिनांक 09/10/2014

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


09.10.14

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं
निदेशक (प्रशासन) -सह- अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना


7.10.2014


09/10/2014

ज्ञापांक

630

/कृ०, प्रसार, पटना, दिनांक 09/10/2014

प्रतिलिपि : सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं
निदेशक (प्रशासन) -सह- अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक

630

/कृ०, प्रसार, पटना, दिनांक 09/10/2014

प्रतिलिपि : मंत्री कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं उद्यान निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं
निदेशक (प्रशासन) -सह- अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

30/10/2014

07/10/2014

अनुसूची - 1
बिहार सरकार
कृषि विभाग
किसान सलाहकार चयन मार्गदर्शिका

कृषि विभागीय राज्यादेश सं०-1304 दिनांक 08.03.2010 के द्वारा किसान सलाहकार योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्रगतिशील किसानों को सलाहकार के रूप में चयनित कर उन्हें कृषि प्रसार तंत्र के साथ जोड़ना है। इसके लिए आवश्यक होगा कि योजना प्रावधानों के अनुसार किसान सलाहकार का चयन समय से पूरा किया जाय। किसान सलाहकार योजना में मुख्य कार्यकारी बिन्दु निम्न प्रकार है:-

1. किसान सलाहकार स्वयं एक प्रगतिशील किसान होंगे। किसान सलाहकार के लिए चयन हेतु आवेदक को एक शपथ पत्र समर्पित करना होगा जिसमें पूर्णकालिक रूप से कृषि कार्य करने की धोषणा होगी।

2. किसान सलाहकार के चयन में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान से कृषि स्नातक/उद्यान/कृषि अभियंत्रण/पशु चिकित्सा/मत्स्य/गव्य तकनीकी/वानिकी/वनस्पति विज्ञान में स्नातक/आई०एस०सी० कृषि एवं आई०एस०सी० योग्यताधारी किसान अभ्यर्थियों को चयन किया जायेगा। प्राथमिकता में सर्वप्रथम कृषि स्नातक, तदोपरान्त क्रमशः अन्य विषयों में स्नातक तदोपरान्त आई०एस०सी० कृषि एवं उसके बाद आई०एस०सी० योग्यताधारी का चयन किया जाएगा।

प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर आवेदकों की मेधा सूची तैयार की जायेगी। स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पाँच प्रतिशत अधिमानता अंक के रूप में दिया जायेगा।

चयन किये जाने वाले वर्ष के 1 अगस्त को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होगा। इनका सेवा अधिकतम 65 वर्ष उम्र सीमा तक होगी।

3. किसान सलाहकार के चयन हेतु संबंधित आवेदक एक ही जिला में आवेदन कर सकते हैं।

4. किसान सलाहकार के उम्र के संबंध में मैट्रिक का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

5. सरकारी सेवा में कार्यरत/संबिदा आधारित नियुक्त व्यक्ति किसान सलाहकार नहीं हो सकते हैं।

6. किसान सलाहकार के पद पर चयन हेतु ऑन लाइन आवेदन कृषि विभाग के वेबसाइट Krishi.bih.nic.in पर उपलब्ध होगा।

7. किसान सलाहकार का चयन निम्न प्रकार से गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

I. जिला पदाधिकारी— अध्यक्ष

II. परियोजना निदेशक, आत्मा— सदस्य

III. जिला उद्यान पदाधिकारी— सदस्य

IV. जिला पदाधिकारी, द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि—सदस्य

V. जिला कृषि पदाधिकारी—सदस्य सचिव



अध्यक्ष, सचिव सहित न्यूनतम तीन सदस्यों की उपस्थिति चयन समिति की बैठक के लिए अनिवार्य होगा।

8. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं इसे कार्यालय पट एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। प्रारूप सूची में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर निर्धारित समय सीमा के अन्दर आपत्ति लिखित रूप में जिला कृषि पदाधिकारी को दी जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मेधा सूची एवं इस पर प्राप्त आपत्ति को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। चयन समिति प्रारूप मेधा सूची एवं आपत्ति पर विचार कर अंतिम मेधा सूची निर्धारित करेगी। अन्तिम मेधा सूची एवं चयनित किसान सलाहकार की सूची जिला कृषि कार्यालय के सूचना पट एवं Website पर प्रदर्शित की जायेगी। किसान सलाहकार के चयन में समिति का निर्णय अंतिम होगा। चयनित सलाहकार एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के बीच एक विहित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

9. जिन जिलों में किसान सलाहकार का पद रिक्त है उनमें तत्काल आरक्षण रोस्टर नियमों का पालन करते हुये चयन किया जाना है। चयन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से करते हुये पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

10. रिक्त पदों पर किसान सलाहकारों का चयन किया जायेगा। स्वीकृत पद भरे जाने के बाद भी आरक्षण रोस्टर के अनुसार प्रतीक्षा सूची बनाई जायेगी जिससे भविष्य में होने वाली रिक्तियों को भर कर कार्य सुचारु रूप से चलाया जा सके।

11. चयनित किसान सलाहकार को राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर/बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अधीन कार्यरत कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र में प्रशिक्षित किया जायेगा।

12. किसान सलाहकार केन्द्र, सेवा प्रदायी केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। संबंधित सलाहकार घोषित स्थान पर बोर्ड लगायेंगे जिसमें परामर्श का समय भी अंकित करेंगे। यह परामर्श का समय कार्य दिवस में न्यूनतम 6 घंटे की होगी परंतु जब वे किसी बैठक आदि में भाग लेने के लिए कृषि विभाग द्वारा बुलाया जायेगा तो स्वाभाविक रूप से इसकी बाध्यता नहीं होगी। सलाहकार द्वारा संबंधित पंचायत का कृषि से संबंधित सूचनाओं को रजिस्टर में रखा जायेगा एवं मांगे जाने पर कृषि विभाग के पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

13. किसान सलाहकार को प्रति माह विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त सलाहकार को निःशुल्क प्रशिक्षण दी जायेगी। किसान सलाहकार को चयन के बाद सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद से मानदेय देय होगा। उन्हें क्रमशः प्रशिक्षण के लिए संबंधित संस्थान में जिला कृषि पदाधिकारी/आत्मा द्वारा भेजा जायेगा।

14. किसान सलाहकार के कार्यों का अनुश्रवण परियोजना निदेशक, आत्मा/जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी करेंगे। किसान सलाहकार संबंधित प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी के प्रति जवाबदेह होंगे। किसान सलाहकार को मानदेय का भुगतान प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा संतोषप्रद कार्य करने के प्रमाण के बाद संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बैंक खाते में RTGS के माध्यम से मासिक तौर पर किया जायेगा। सभी संबंधित लेखों यथा प्राप्त राशि, भुगतीत राशि इत्यादि का लेखा जोखा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा रखा जायेगा।

15. किसान सलाहकार सरकारी सेवक नहीं होंगे। सभी वर्गों की भागदारी हेतु जिला स्तर पर लागू आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुसार चयन में आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा एवं आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन सुनिश्चित किया जायेगा। आरक्षण

3.8.149

रोस्टर का क्रम पंचायत के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। किसी प्रकार के बिन्दु पर स्पष्टता की आवश्यकता होने पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति निर्णय ले सकेगी।

16. किसान सलाहकार का चयन वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए किया जायेगा। उनका संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में इसे एक साल बढ़ाया जा सकेगा। पूर्व से कार्यरत किसान सलाहकार इस वर्ष भी कार्यरत रहेंगे जब तक कि उनको चयन समिति नहीं हटावे। संतोषप्रद कार्य मूल्यांकन किसान सलाहकार को सौंपे गये दायित्व पर आधारित होगा। किसान सलाहकार के दायित्व/किये गए कार्य के आलोक में प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा ग्रेड ए से डी तक दिये जायेंगे। यह ग्रेड प्रत्येक प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी उस वर्ष के 28 फरवरी तक उपलब्ध करा देंगे।

17. किसान सलाहकारों के कार्यों का मासिक अनुश्रवण किया जायेगा। अनुश्रवण के दौरान जिन किसान सलाहकारों का निर्धारित कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाया जायेगा, एवं जो किसान सलाहकार सरकारी नियमों के विपरीत गतिविधि में शामिल होंगे यथा- हड़ताल में संलिप्त रहना, स्थानीय राजनीति का पदाधिकारी के उपर दबाव डालना, स्थानीय राजनीति में संलिप्त रहना, गलत सूचना देना इत्यादि कार्यों में संलिप्त रहते हैं तो उन किसान सलाहकारों को भी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी के अनुशंसा पर चयन मुक्त करने का अधिकार संबंधित जिला पदाधिकारी को होगा।

18. किसान सलाहकार के चयन प्रक्रिया में उत्पन्न सभी प्रकार के विवादों/मामलों में किसान सलाहकार संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ मेघा सूची प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं। किसान सलाहकार को चयन मुक्त किये जाने पर उनके द्वारा प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक, के समक्ष 30 दिनों के अन्दर अपील दायर किया जा सकता है।

19. विज्ञापन की सूचना जिला कृषि पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी के कार्यालय पट एवं विभागीय वेबसाईट पर सुनिश्चित किया जायेगा। किसान सलाहकार का चयन का विज्ञापन दो हिन्दी लोकप्रिय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जायेगा।



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग बिहार, पटना।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसान सलाहकार योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कार्यरत किसान सलाहकार के लिए तत्काल निकासी हेतु स्वीकृत राशि से संबंधित राशि से संबंधित विवरणी।

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मानदेय/आकस्मिकता (लाख रु० में)
1	2	3
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना	28.8
2	जिला कृषि पदाधिकारी,, नालन्दा	20.16
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर	18
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	14.4
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)	10.8
6	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	13.68
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया	18.72
8	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद	21.6
9	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद	7.92
10	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल	7.92
11	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा	15.84
12	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण (छपरा)	30.96
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान	30.24
14	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज	25.2
15	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	36
16	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	46.08
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण	33.12
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी	18
19	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर	4.32
20	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली	30.96
21	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा	32.4
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी	32.4
23	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर	39.6
24	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय	19.44
25	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा	15.84
26	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल	20.16
27	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	16.56
28	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया	10.08
29	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ	2.16
30	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार	2.88
31	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया	2.16
32	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज	0.72
33	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर	15.84
34	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर	2.88
35	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई	10.8
36	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय	5.76
37	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा	5.04
38	जिला कृषि पदाधिकारी, बांका	12.96
योग :-		680.4

(छ: करोड़ अस्सी लाख चालीस हजार रुपये मात्र)

Amir
07/10/2014

3.5.12.8
7.10.2014

6/10/14
(विश्वनाथ चौधरी)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं
निदेशक (प्रशासन) -सह- अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।